



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122025-268299
CG-DL-E-06122025-268299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5383]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

No. 5383]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5571(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3078(अ), दिनांक 10/07/2025 द्वारा, केन्द्र सरकार ने झारखंड राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 39 (पुराना एनएच-75) के रांची-नगर ऊटारी-झारखंड/उत्तर प्रदेश सीमा खंड तक के कार्य को, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) को सौंपा गया है;

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसके पश्चात “नियम” के रूप में उल्लेखित है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (नया एनएच-39) के खजूरी गांव-विंडमगंज (झारखंड-यूपी सीमा) डिजाइन चेनेज कि.मी. 219.600 से कि.मी. 260.660 (मौजूदा किमी 218.500 से किमी 259.640) तक चार या अधिक लेन वाले खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ (1) में विविरिंदृष्ट वाहनों के प्रकार पर निवल सङ्क खंड लंबाई 31.94 कि.मी [सारणी -2] तथा समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) 19.000 कि.मी (तालिका-4) (1.900 कि.मी लंबाई वाली) नीचे दी गई सारणी -1 के स्तम्भ (2)

के विनिर्दिष्ट आधार दर पर और 7.22 किलोमीटर लंबाई के दस करोड़ रुपये या अधिक लागत वाले बाईपास [तालिका-3] के लिए आधार दर का 150% पर शुल्क उद्धीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, निम्नानुसारः-

सारणी -1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूलिंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थातः-

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
झारखंड के गढ़वा जिले में विलासपुर गांव के पास एनएच-39 के डिज़ाइन किमी/चैनेज 258.300 (श्री बंशीधर टोल प्लाजा) पर	31.94 किमी [(बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और(>60 मीटर)] संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए देय होगा:-

शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी में)	
झारखंड के गढ़वा जिले में विलासपुर गांव के पास एनएच-39 के डिज़ाइन किमी/चैनेज 258.300 (श्री बंशीधर टोल प्लाजा) पर	एनएच-39 का नगर ऊटारी बाईपास	डिज़ाइन किमी 246.450	डिज़ाइन किमी 253.750	7.22	168.204
कुल				7.22	168.204

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी -4				
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (कि.मी में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है	
झारखण्ड के गढ़वा जिले में विलासपुर गांव के पास एनएच-39 के डिज़ाइन किमी/चैनेज 258.300 (श्री वंशीधर टोल प्लाजा) पर	1.900	19.00	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%	
चैनेज	संरचना का प्रकार		लंबाई (कि.मी में)	
कि.मी. से	कि.मी. तक			
1	223.695	225.515	फ्लाईओवर	
2	247.190	247.270	एमजेबी	
कुल			1.900	

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340/- रुपए (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर वहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खण्ड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1436.49 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. जे.एचडीआईवी-12011/1/2025-पीआईयू डाल्टनगंज/ई-259235]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2025

S.O. 5571(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3078 (E), dated 10/07/2025, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the Entire NH from Ranchi-Nagar Untari-Jharkhand/Uttar Pradesh Border Section of National Highway 39 (Old NH-75) in the State of Jharkhand to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) in Table 1 (hereinafter referred to as "base rate") for net road section length of 31.94 km [Table-2] and for equivalent structure (having length more than 60 m) of 19.000 km [Table-4] (having length of 1.900 km) and at one and half times the base rate for bypass having length of 7.22 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicle specified in column (1) of the Table 1 below for use of four or more lane of Khajuri Village – Wyndhamganj (JH-UP Border) from design chainage Km. 219.600 to Km. 260.660 (existing Km. 218.500 to Km. 259.640) of National Highway number 75 (New NH-39) in the State of Jharkhand authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (In Rupees)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km/Ch. 258.300 (Shri Banshidhar Toll Plaza) of NH-39 near Bilaspur Village in Garhwa District of Jharkhand	31.94 Km (Excluding length of bypass (costing \geq 10 Cr.) and length of structures ($>$ 60 m))	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 Crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

Table-3

Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km/Ch. 258.300 (Shri Banshidhar Toll Plaza) of NH-39 near Bilaspur Village in Garhwa District of Jharkhand	Nagar Untari Bypass of NH-39	Design Km 246.450	Design km 253.750	7.22	168.204	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
Total				7.22	168.204	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4

Location of Fee Plaza (Chainage)		Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (In km)	Rate at which fee is payable
At Design Km/Ch. 258.300 (Shri Banshidhar Toll Plaza) of NH-39 near Bilaspur Village in Garhwa District of Jharkhand		1.900	19.00	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
Chainage		Type of Structure	Length (in km)	
From Km	To Km			
1	223.695	Flyover	1.820	
2	247.190	MJB	0.080	
Total				1.900

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometres from the fee plaza is Rs.340.00 (Rupees Three Hundred and Forty Only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5

Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment.
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated Capital cost of the Project is Rupees Crore 1436.49 The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, Utility Shifting, tree cutting etc are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through fee realised.

[F. No. JHDIV-12011/1/2025-PIU Daltonganj/E-259235]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.